शहर को मिला प्रदेश का पहला डबल लेयर फ्लाईओवर, सिंहस्थ 2028 में यातायात रहेगा सुगम

175 करोड़ के फ्लाईओवर से ट्रैफिक जाम होगा कम, ईंधन की बचत भी होगी: सीएम डॉ. यादव

पीपुल्स संवाददाता • इंदौर
मो.नं. 9584460010

मध्यप्रदेश को गुरुवार को अपना पहला डबल लेयर फ्लाईओवर मिल गया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने लवकुश चौराहे पर 175 करोड़ रुपये की लागत से बने डबल लेयर फ्लाईओवर की पहली भुजा का लोकार्पण किया। इसके साथ ही अरविंदो क्षेत्र से बाणगंगा की ओर वाहनों की आवाजाही शुरू हो गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह परियोजना इंदौर की आधुनिक यातायात व्यवस्था का नया अध्याय है और सिंहस्थ-2028 के दौरान इंदौर-उज्जैन मार्ग पर यातायात को संभालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस परियोजना की विशेषता इसकी त्रिस्तरीय यातायात व्यवस्था है। पहले स्तर पर चौराहे का सामान्य यातायात संचालित होगा, दूसरे स्तर पर मौजूदा फ्लाईओवर और मेट्रो रेल कॉरिडोर रहेगा, जबकि तीसरे स्तर पर नया डबल लेयर फ्लाईओवर तैयार किया गया है। इससे लवकुश चौराहे पर वाहनों का दबाव कम होगा और यातायात अधिक सुचारु हो सकेगा।

800 टन स्टील का इस्तेमाल | **1450** मीटर लंबा फ्लाईओवर | **24** मीटर चौड़े हैं स्पान | **22** मीटर ऊंचे और 65 मीटर लंबे स्पान

मुख्यमंत्री डॉ. यादव के हाथों लवकुश चौराहे पर डबल लेयर फ्लाईओवर की पहली भुजा के लोकार्पण के बाद इस पर से गुजरते वाहन।

दूसरी भुजा भी जल्द होगी शुरू

फिलहाल फ्लाईओवर की एक लेन आम लोगों के लिए खोल दी गई है, जिससे अरविंदो क्षेत्र से बाणगंगा की ओर यातायात शुरू हो गया है। दूसरी भुजा का निर्माण अंतिम चरण में है। इसके पूरा होने के बाद दोनों दिशाओं में निर्बाध यातायात शुरू हो जाएगा।

500 मीटर की चढ़ाई, 400 मीटर का ढलान

इस ब्रिज पर अरबिंदो से बाणगंगा तरफ की लेन पर वाहनों को 500 मीटर की चढ़ाई करनी पड़ रही है, जबकि ढलान 400 मीटर का है। वाहन तो आसानी से चढ़ रहे हैं, लेकिन उतरते वक्त गति को नियंत्रित करना चुनौती वाला काम है।

यूसीसी सभी के लिए समान कानून

लोकार्पण के बाद मीडिया से चर्चा में मुख्यमंत्री ने यूसीसी पर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि इसके लागू होने के बाद विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और पारिवारिक मामलों में सभी के लिए समान कानूनी व्यवस्था लागू होगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि यूसीसी पर प्रदेश सरकार ने व्यापक जनभागीदारी सुनिश्चित की। लगभग दो महीने तक चले अभियान में साढ़े तीन करोड़ से अधिक लोगों से सुझाव लिए गए। उन्होंने कहा कि समाज के विभिन्न वर्गों से मिले सकारात्मक सहयोग से स्पष्ट है कि लोग समानता आधारित व्यवस्था का समर्थन कर रहे हैं।

इंदौर और विकास एक-दूसरे के पर्याय

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि यह फ्लाईओवर केवल वर्तमान ट्रैफिक दबाव को कम करने के लिए नहीं, बल्कि भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। इससे यात्रा का समय घटेगा, ईंधन की बचत होगी और नागरिकों को सुरक्षित एवं सुविधाजनक आवागमन मिलेगा। उन्होंने कहा कि इंदौर और विकास एक-दूसरे के पर्याय हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रदेश में आधारभूत ढांचे का तेजी से विस्तार हो रहा है।

बंद करना पड़ा था ब्रिज

बुधवार से डबलडेकर ब्रिज की एक लेन शुरू होना थी। इसके पहले कमिश्नर रेलवे सेफ्टी (सीएमआरएस) की अनुमति जरूरी थी। अनापत्ति नहीं मिलने की वजह से ब्रिज की लेन शुरू नहीं हो पाई थी। कुछ दो पहिया वाहन ब्रिज से गुजरे फिर इसे बंद करवा दिया गया। बुधवार देर रात अनापत्ति मिल गई।

रहवासी क्षेत्र में अवैध हॉस्टल पर चला निगम का बुलडोजर

आवासीय भूमि पर बने हॉस्टल के अवैध हिस्से को जेसीबी से ढहा दिया गया।

पीपुल्स संवाददाता • इंदौर
मो.नं. 9584460010

नगर निगम ने गुरुवार को खातीवाला टैंक क्षेत्र में आवासीय अनुमति के विपरीत बनाए जा रहे हॉस्टल पर रिमूवल कार्रवाई करते हुए अवैध निर्माण हटाया। यह कार्रवाई आयुक्त क्षितिज सिंघल के निर्देश पर जोन क्रमांक 12 के अंतर्गत की गई। भवन अधिकारी राहुल रघुवंशी ने बताया कि गुरु गोविंद सिंहजी उद्यान के पास स्थित मकान क्रमांक 218, खातीवाला टैंक में आवासीय अनुमति के विपरीत व्यावसायिक उपयोग के लिए 12 से 13 कमरों का हॉस्टल बनाया गया था। जांच में यह भी सामने आया कि भवन के फ्रंट, साइड, बैक हिस्से तथा फुटपाथ पर भी अवैध निर्माण किया गया था।

नगर निगम के रिमूवल विभाग ने कार्रवाई करते हुए हॉस्टल के फ्रंट और साइड के सेटबैक (एमओएस) क्षेत्र तथा फुटपाथ पर किए गए अवैध निर्माण को जेसीबी की मदद से हटाया। कार्रवाई के दौरान निगम अधिकारियों की मौजूदगी में सुरक्षा व्यवस्था भी बनाए रखी गई। इस दौरान भवन अधिकारी राहुल रघुवंशी, भवन निरीक्षक अनुभूति मडावी सहित रिमूवल विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे। निगम अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि आवासीय क्षेत्रों में नियमों के विपरीत किए गए व्यावसायिक और अवैध निर्माणों के खिलाफ आगे भी इसी प्रकार की कार्रवाई जारी रहेगी।

अवैध निर्माण हो हटाने पहुंचा अमला।

आईआईटी इंदौर में नवप्रवेशित 625 पीजी और पीएचडी विद्यार्थियों का ओरिएंटेशन

पीपुल्स संवाददाता • इंदौर
मो.नं. 9009585701

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) इंदौर में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के नवप्रवेशित स्नातकोत्तर (पीजी) और पीएचडी विद्यार्थियों के लिए बुधवार को ओरिएंटेशन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस वर्ष संस्थान ने पीजी और पीएचडी कार्यक्रमों में कुल 625 विद्यार्थियों को प्रवेश दिया है।

कार्यक्रम की अध्यक्षता निदेशक प्रो. सुहास जोशी ने की। उन्होंने विद्यार्थियों का स्वागत करते हुए शैक्षणिक उत्कृष्टता, नवाचार और नैतिक अनुसंधान के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने विद्यार्थियों को अंतर्विषयक दृष्टिकोण अपनाने और समाजोपयोगी शोध कार्यों में योगदान देने के लिए प्रेरित किया। ओरिएंटेशन के दौरान विद्यार्थियों को संस्थान की शैक्षणिक व्यवस्था, अनुसंधान सुविधाओं, छात्र सहायता सेवाओं और परिसर जीवन से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां दी गईं।

ओरिएंटेशन कार्यक्रम में शामिल नवप्रवेशित पीजी और पीएचडी के विद्यार्थी।

विशेषज्ञता कार्यक्रम शुरू

आईआईटी इंदौर ने सत्र 2026-27 से तीन नए एमटेक विशेषज्ञता कार्यक्रम भी शुरू किए हैं। इन कार्यक्रमों के विद्यार्थियों को आगे पीएचडी में प्रवेश का अवसर भी मिलेगा। संवादात्मक सत्रों के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ।

पानी की समस्या से परेशान रहवासियों ने किया चक्काजाम

इंदौर। शहर के दशहरा मैदान रोड पर पेयजल संकट से परेशान रहवासियों ने सोमवार को चक्काजाम कर अपना विरोध दर्ज कराया। सड़क पर प्रदर्शन के कारण दोनों ओर वाहनों की कतारें लग गईं। प्रदर्शन कर रहे रहवासियों का कहना था कि वे वर्षों से पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। समस्या के समाधान के लिए हाल ही में नई पानी की लाइन बिछाई गई, लेकिन इसे मुख्य लाइन से करीब चार फीट ऊंचाई पर डाल दिया गया। इसके कारण पर्याप्त जलापूर्ति नहीं होने से अब भी पानी के लिए परेशान होना पड़ रहा है। बार-बार शिकायत के बावजूद जिम्मेदार अधिकारियों ने समस्या की ओर ध्यान नहीं दिया।

मुंबई में भारी बारिश का असर : इंदौर की ट्रेनों का संचालन प्रभावित

पीपुल्स संवाददाता • इंदौर
मो.नं. 9584691000

मुंबई और आसपास के इलाकों में लगातार हो रही भारी बारिश का असर अब रेल संचालन पर भी दिखाई देने लगा है।

मुंबई मंडल के भिलाड़-बोरीवली रेलखंड में जलभराव होने से कई ट्रेनों का संचालन प्रभावित हुआ है। इसका सीधा असर इंदौर से मुंबई जाने और मुंबई से इंदौर आने वाली ट्रेनों पर पड़ा है। कई ट्रेनों को निरस्त करना पड़ा है, जबकि कुछ ट्रेनों के मार्ग में बदलाव किया गया है। वहीं, इंदौर से गुरुवार शाम 5.45 बजे रवाना होने वाली अवंतिका एक्सप्रेस भी छह घंटे से अधिक की देरी से चलने की सूचना यात्रियों को दी गई। रेलवे की ओर से यात्रियों को भेजे गए संदेश के अनुसार अवंतिका एक्सप्रेस के गुरुवार रात करीब 12 बजे रवाना होने की संभावना जताई गई। ट्रेन में यात्रा करने वाले बंगाली चौराहा निवासी जया उपाध्याय ने बताया कि उन्हें गुरुवार को मुंबई जाना था, लेकिन रेलवे से मिले संदेश में ट्रेन के छह घंटे से अधिक विलंब से चलने की जानकारी दी गई। इससे यात्रियों की यात्रा योजनाएं प्रभावित हो गईं। रेलवे अधिकारियों के अनुसार मुंबई से इंदौर आने वाली कुछ ट्रेनों का संचालन भी प्रभावित हुआ है। विशेषज्ञों के मुताबिक मुंबई से इंदौर आने वाली दुरंतो एक्सप्रेस को निरस्त करना पड़ा, जबकि अन्य ट्रेनों का संचालन भी देरी से हो रहा है। इधर, पश्चिम रेलवे के रतलाम मंडल ने बताया कि मुंबई मंडल में जलभराव के कारण गुरुवार को खड़की से रवाना होने वाली 09323 खड़की-इंदौर स्पेशल को निर्धारित मार्ग के बजाय परिवर्तित मार्ग से चलाया जा रहा है।

दो साल बाद मिली 2500 विद्यार्थियों को मार्कशीट

इंदौर। जिले के 74 निजी स्कूलों के 2500 से अधिक विद्यार्थियों को दो साल बाद उनकी 5वीं और 8वीं की मार्कशीट मिलने जा रही है। शैक्षणिक सत्र 2024-25 में भोपाल से स्कूलों के लिए भेजे गए मार्कशीट के बंडल रास्ते में ही गायब हो गए थे, जिससे वे स्कूलों तक नहीं पहुंच सके। राज्य शिक्षा केंद्र और जिला परियोजना समन्वयक (डीपीसी) कार्यालय के बीच लंबे पत्राचार के बाद अब स्थानीय स्तर पर दोबारा मार्कशीट प्रिंट कराई गई हैं। शनिवार से इन्हें संबंधित स्कूलों को सौंपने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पहले दिन 74 में से केवल 17 स्कूलों के प्राचार्य ही मार्कशीट लेने पहुंचे।

ब्रिज निर्माण से पहले सीवर लाइन शिफ्टिंग कार्य का भूमिपूजन, एक करोड़ से अधिक होंगे खर्च

पीपुल्स संवाददाता • इंदौर
मो.नं. 9584460010

शहर के चंद्रशेखर आजाद चौराहा पर प्रस्तावित ब्रिज निर्माण का मार्ग प्रशस्त करने के लिए गुरुवार को महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने चंदन नगर तिराहा पर सीवर लाइन शिफ्टिंग कार्य का भूमिपूजन किया। इस कार्य पर एक करोड़ रुपये से अधिक की लागत आएगी। कार्यक्रम में महापौर प्रतिनिधि भरत पारख, पार्षद महेश चौधरी, शिखा संदीप दुबे, नगर निगम के अधिकारी, जनप्रतिनिधि और क्षेत्रीय नागरिक मौजूद रहे।

भूमिपूजन के बाद महापौर ने अधिकारियों से सीवर लाइन शिफ्टिंग और प्रस्तावित ब्रिज निर्माण की प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने निर्देश दिए कि कार्य तय समय-सीमा में गुणवत्ता के साथ पूरा किया जाए, ताकि ब्रिज निर्माण में किसी प्रकार की बाधा न आए। महापौर ने कहा कि चंद्रशेखर आजाद चौराहा शहर के सबसे व्यस्त चौराहों में शामिल है। यहां ब्रिज बनने से यातायात का दबाव कम होगा और आवागमन सुगम बनेगा। उन्होंने कहा कि भविष्य में तकनीकी परेशानियों से बचने के लिए ब्रिज निर्माण से पहले सीवर लाइन का व्यवस्थित रूप से शिफ्ट किया जाना आवश्यक है।

सीवर लाइन शिफ्टिंग कार्य के भूमिपूजन के दौरान उपस्थित महापौर व जनप्रतिनिधि।

मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को नगर निगम के सेवा प्रभार शुल्क में मिल सकती है बड़ी राहत

सड़क, पटरियां और रिक्त भूमि पर नहीं लगेगा शुल्क

पीपुल्स संवाददाता • इंदौर
मो.नं. 9584460010

नगर निगम द्वारा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को सेवा प्रभार शुल्क के रूप में भेजी गई करीब 8.50 करोड़ रुपये की मांग अब संशोधित हो सकती है। निगम और मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के बीच हुए संयुक्त निरीक्षण और मापन (संयुक्त नपती) में यह बात सामने आई है कि शुल्क निर्धारण में कुछ ऐसे हिस्सों को भी शामिल कर लिया गया था, जिन पर नियमों के अनुसार सेवा प्रभार लागू नहीं होना चाहिए। अब दोनों पक्ष संयुक्त सहमति के आधार पर नई गणना तैयार करेंगे, जिससे मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को बड़ी राहत मिलने की संभावना है।

मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने नगर निगम के समक्ष स्पष्ट किया कि खाली जमीन, सड़क, खुला परिसर और ट्रैक वाले हिस्से को शुल्क निर्धारण से बाहर रखा जाना चाहिए। इसी आधार पर सभी मेट्रो स्टेशनों का दोबारा मापन किया गया। संयुक्त नपती के दौरान ऐसे सभी क्षेत्रों की अलग-अलग पहचान कर ली गई है, जिन पर सेवा प्रभार लागू नहीं होना चाहिए। अब निगम से अनुरोध किया गया है कि इन हिस्सों को कुल क्षेत्रफल से हटाकर संशोधित मांग तैयार की जाए। संयुक्त निरीक्षण के बाद अब नगर निगम और मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के अधिकारी नियमों के अनुरूप क्षेत्रफल का मिलान करेंगे। इसके बाद केवल पात्र निर्मित क्षेत्र को आधार बनाकर सेवा प्रभार शुल्क की नई गणना तैयार की जाएगी। अपर आयुक्त आकाश सिंह ने बताया कि यदि नियमों के अनुसार गैर-निर्मित क्षेत्र को गणना से बाहर रखा जाता है, तो मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को सेवा प्रभार शुल्क में बड़ी राहत मिल सकती है।

संयुक्त नपती के बाद सामने आई तस्वीर

नगर निगम ने पहली बार मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को सेवा प्रभार शुल्क की मांग भेजी थी। मेट्रो अधिकारियों ने इस पर आपत्ति जताते हुए कहा कि शुल्क निर्धारण में वास्तविक निर्मित क्षेत्र और गैर-निर्मित क्षेत्र के बीच अंतर नहीं किया गया है। इसके बाद मेट्रो डिपो और विभिन्न स्टेशन परिसरों का संयुक्त निरीक्षण एवं दोबारा मापन कराया गया। निरीक्षण में पाया गया कि सेवा प्रभार शुल्क की गणना में डिपो की खाली भूमि, सड़कें और वे हिस्से भी जोड़ दिए गए थे, जहां केवल मेट्रो की पटरियां बिछी हुई हैं। मेट्रो अधिकारियों का कहना है कि इन क्षेत्रों पर कोई भवन या स्थायी निर्माण नहीं है, इसलिए इन पर सेवा प्रभार शुल्क लागू नहीं होना चाहिए।

पश्चिम रेलवे
सामग्री प्रबंधन विभाग
विभिन्न सामग्री आपूर्ति
ई-प्रोक्योरमेंट टेंडर सूचना संख्या S/40/2026 दिनांक 21.07.2026

स.क्र.	टेण्डर नं.	वस्तुओं का संक्षिप्त विवरण	मात्रा	टी.ओ.डी.
338	11255027	इनवर्टर-बेस्ड MIG/MAG सिनर्जिक पल्स वेल्डिंग मशीन एक साल का रनिंग कॉन्ट्रैक्ट:-	125 Nos	31-Aug-26
339	07265800	रेलवे सिग्नलिंग और टेलीकॉम इंस्टॉलेशन के लिए अंडरग्राउंड रेलवे जेली-फिल्ड टेलीकॉम क्वाड केबल (साइज 06 क्वाड, 0.9 mm डायमीटर) - RDSO स्पेसिफिकेशन नंबर IRS: Tc-30/2005, VER.1 और AMDT. नंबर 1 से 5 के अनुसार	4000 KM	28-Aug-26
340	15262152	35 mm नॉन-एस्बेस्टोस ऑर्गेनिक ब्रेक पैड्स का सेट	48576 Nos	24-Aug-26
341	07265253	पावर केबल साइज: 2 कोर X 70 sq mm	59 KM	17-Aug-26

विस्तृत सूचना ईएमडी, खरीद प्रतिबंध और विस्तृत निविदा शर्तों के संबंध में कृपया वेबसाइट www.ireps.gov.in और wr.indianrailways.gov.in देखें। 0401
Like us on: facebook.com/WesternRly • Follow us on: X.com/WesternRly

उत्तर मध्य रेलवे
ई-टेन्डरिंग निविदा सूचना
भारत के राष्ट्रपति की ओर से एवं उनके लिये मण्डल रेल प्रबंधक /कार्य/ झाँसी निम्नलिखित कार्य हेतु आनलाईन (ई- टेन्डरिंग) के माध्यम से खुली निविदा आमंत्रित करते है।
ई- निविदा सूचना संख्या : झाँसी-इन्जी0-एन- 2026-175
कार्य का नाम : सप्लाईगं एण्ड स्टेकिंग ऑफ अलुमिनो थेर्मिक वेल्डिंग पोर्शन 52 केजी 90 यूटीएस, 60 केजी 90 यूटीएस रेल/60 केजी 60 ईआई आर-260 रेल विथ कम्पलीट एक्सेसरीज अंडर सीनियर डीईएन नार्थ/झाँसी जूरिडिक्शन।
अनुमानित लागत रू.: 21307765.46 | अमानत राशि : 426200.00
स्वीकृत पत्र जारी होने के समय से कार्य समापन/अवधि की तिथि : 24 माह
निविदा बन्द होने की तिथि : 13/08/2026 at 15:00 hrs., • निविदा दिनांक 13/08/2026 को 15:00 बजे तक आन लाईन जमा कर सकेंगे। पूर्ण विवरण एवं निविदा को प्रस्तुति करने के लिए भारतीय रेल के वेब साइट www.ireps.gov.in पर देखें। 1678/26 (D)
North central railways @ CPRONCR www.ncr.indianrailways.gov.in

पेगासस एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन प्रायवेट लिमिटेड
55-56, पांचवी मंजिल, फ्री प्रेस हाउस, नरीमन पाईंट, मुम्बई-400 021, फोन नं.-022-61884700
Email:sys@pegasus-arc.com URL:www.pegasus-arc.com
ई-नीलामी के लिए सार्वजनिक सूचना
सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट, 2002 और सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एनफोर्समेंट) रूल्स, 2002 के नियम 8 और 9 के तहत अचल संपत्ति की बिक्री।
आम जनता और खास तौर पर नीचे बताए गए उधारकर्ता, सह-उधारकर्ता, गारंटर और बंधनकर्ता को यह सूचना दी जाती है कि नीचे बताई गई सुरक्षित संपत्तियां (जो अचल संपत्ति हैं और सुरक्षित लेनदार के पास बंधक/चार्ज की गई हैं), उन्हें बेचा जा रहा है।
इन संपत्तियों से जुड़े सुरक्षित लेनदार, 'पेगासस एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड' (जो 'पेगासस ग्रुप वन ट्रस्ट-32' (पेगासस) के ट्रस्टी के तौर पर काम कर रही है) को इंडसइंड बैंक लिमिटेड ("IBL") ने 27/12/2018 के असाइनमेंट एग्रीमेंट के जरिए, सरफेसी एक्ट, 2002 के प्रावधानों के तहत नीचे बताए गए उधारकर्ता के कर्ज और उनसे जुड़ी सिक्योरिटीज का अधिकार सौंपा था। अब इन संपत्तियों को सरफेसी एक्ट और उसके नियमों के तहत "जैसा है, जहां है", "जैसा है, वैसा है" और "जो कुछ भी है" के आधार पर बेचा जा रहा है।
अधिकृत अधिकारी ने सरफेसी एक्ट और उसके नियमों के प्रावधानों के तहत 17.03.2023 को नीचे बताई गई सुरक्षित संपत्तियों (जो अचल संपत्ति है) का भौतिक कब्जा ले लिया है।
नीलामी का विवरण इस तरह हैं:

उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता गारंटर का नाम:	1. मे. एल. संस 2. श्री कुमार ददलानी 3. श्री महेश ददलानी 4. श्रीमती रेखा ददलानी 5. श्रीमती भारती ददलानी
बकाया रकम जिसके लिए सिक्योर्ड एसेट्स बेचे जा रहे हैं:	15-06-2026 तक ₹2,45,46,067/- (दो करोड़ पैंतालीस लाख छियालीस हजार सड़सठ रुपये मात्र), साथ ही 16-06-2026 से भुगतान और वसूली की तारीख तक अनुबंध की दर से अतिरिक्त ब्याज और उस पर लगने वाले खर्च, शुल्क और व्यय।
बेची जा रही सुरक्षित संपत्ति (अचल संपत्ति) का विवरण	आवासीय संपत्ति का वह पूरा टुकड़ा और पार्सल फ्लैट नंबर 203, सहजानंद अपार्टमेंट, प्लॉट नंबर -11, पलसीकर कॉलोनी, इंदौर एम.पी. श्रीमती रेखा ददलानी और श्री महेश ददलानी के स्वामित्व में 1096 वर्ग फुट का क्षेत्रफल
रिजर्व प्राइस, जिससे कम कीमत पर सुरक्षित संपत्ति नहीं बेची जाएगी (रु. में):	Rs. 31,96,000/- (इकतीस लाख छियानवे हजार रुपये मात्र)
बयाना राशि जमा (आरक्षित मूल्य का 10%)	Rs. 3,19,600/- (केवल तीन लाख उन्नीस हजार छह सौ रुपये)
दावे, यदि कोई हों, जो हों सुरक्षित ऋणदाता और मूल्य को ज्ञात देय राशि के विरुद्ध आगे रखा गया है। संपत्ति और कोई अन्य	ज्ञात नहीं है
CERSAI आईडी	Security Id -400017472536, Asset Id -200017433970
संपत्ति का निरीक्षण	11/08/2026 को सुबह 11.30 बजे से दोपहर 3.00 बजे के बीच।
संपर्क व्यक्ति एवं फोन नं.	संपर्क व्यक्ति: श्री रमाकांत पांडे (अधिकृत)। अधिकारी)-9087788888, श्री रमेश गिरी 9643468804
बोली जमा करने की अंतिम तिथि	17/08/2026 शाम 4:00 बजे तक
बोली लगाने का समय और स्थान	वेबसाइट के माध्यम से ई- नीलामी (https://sarfaesi.auction-tiger.net)on18/08/2023 from 11.00 a.m. to 12:00 p.m.

यह सूचना सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एनफोर्समेंट) रूल्स, 2002 के नियम 8 और 9 के तहत ऊपर बताए गए उधारकर्ताओं / सह-उधारकर्ताओं / गारंटरों / बंधक रखने वालों को 15(पंद्रह) दिनों का नोटिस भी है।
बिक्री की विस्तृत शर्तों और नियमों के लिए, कृपया सिक्योर्ड क्रेडिटर की वेबसाइट यानी http://www.pegasus-arc.com/assets-to-auction.html या वेबसाइट https://sarfaesi.auctiontiger. देखें या सर्विस प्रोवाइडर मे. M/s. E Procurement Technologies Ltd. Auction Tiger से संपर्क करें, बिडर सपोर्ट: 079-68136805/68136837, श्री रामप्रसाद- मोबाइल: +91 9978591888 और 8000023297, ईमेल: ramprasad@auctiontiger.net और support@auctiontiger.net
स्थान : इंदौर | हस्ते/- अधिकृत अधिकारी
दिनांक : 21/07/2026 | पेगासस एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन प्रा.लि. (पेगासस ग्रुप वन ट्रस्ट -32 के ट्रस्टी के रूप में कार्य करते हुए)

पेगासस एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन प्रायवेट लिमिटेड
55-56, पांचवी मंजिल, फ्री प्रेस हाउस, नरीमन पाईंट, मुम्बई-400 021, फोन नं.-022-61884700
Email:sys@pegasus-arc.com URL:www.pegasus-arc.com
ई-नीलामी के लिए सार्वजनिक सूचना
सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट, 2002 और सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एनफोर्समेंट) रूल्स, 2002 के नियम 8 और 9 के तहत अचल संपत्ति की बिक्री।
आम जनता और खास तौर पर नीचे बताए गए उधारकर्ता, सह-उधारकर्ता, गारंटर और बंधनकर्ता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे बताए गए सिक्योर्ड एसेट्स, जो सिक्योर्ड क्रेडिटर, पेगासस एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के पास मॉर्टगेज/चार्ज्ड हैं, जो पेगासस ग्रुप वन ट्रस्ट-32 (पेगासस) के ट्रस्टी के तौर पर काम कर रहे हैं, उन्हें सरफेसी एक्ट, 2002 के प्रोविजन के तहत 14/03/2019 के असाइनमेंट एग्रीमेंट के जरिए इंडसइंड बैंक (आईबीएल बैंक) द्वारा नीचे बताए गए उधारकर्ता के कर्ज और अंडरलाइंग सिक्योरिटीज इंटरेस्ट असाइन किए गए हैं, और सरफेसी एक्ट और उसके नियमों के प्रोविजन के तहत जैसा है, जैसा है, जैसा है, और जो भी है के आधार पर 18.08.2026 को अपनी सभी ज्ञात और अज्ञात बकाया राशियों के साथ बेचे जा रहे हैं।
पेगासस एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के ऑथराइज्ड ऑफिसर ने 11.02.2026 को सरफेसी एक्ट और उसके नियमों के तहत नीचे बताए गए सिक्योर्ड एसेट्स, जो अचल संपत्ति हैं, का भौतिक कब्जा ले लिया है।
नीलामी का विवरण इस तरह हैं:

उधारकर्ता/ सह-उधारकर्ता बंधनकर्ता तथा गारंटर का नाम:	1. मे. सिटी होम सुपर मार्केट (उधारकर्ता) इसके प्रोपराइटर श्री ऋषि कुमार के माध्यम से 2. श्री ऋषि कुमार (सह-उधारकर्ता) 3. श्री बजरंग वर्मा (सह-उधारकर्ता/ बंधककर्ता) 4. श्रीमती ज्योति वर्मा (सह-उधारकर्ता) 5. श्री राजेंद्र वर्मा (सह-उधारकर्ता)
बकाया रकम जिसके लिए सिक्योर्ड एसेट्स बेचे जा रहे हैं:	15.04.2019 तक ₹34,68,103.53 (चौंतीस लाख अड़सठ हजार एक सौ तीन रुपये और तिरपन पैसे) और साथ ही 16.04.2019 से भुगतान और/या वसूली की तारीख तक अनुबंध की दर से अतिरिक्त ब्याज और उस पर हुए खर्च व शुल्क; यह कुल राशि सरफेसी अधिनियम की धारा 13 (2) के तहत नोटिस के अनुसार देय है। 12.02.2026 तक ₹71,28,144.68 (इकहत्तर लाख अट्ठाईस हजार एक सौ चौवालीस रुपये और अड़सठ पैसे) और साथ ही अनुबंध की दर से अतिरिक्त ब्याज और उस पर हुए खर्च व शुल्क, जो 13/02/2026 से लागू होंगे।
बेची जा रही सुरक्षित संपत्ति (अचल संपत्ति) का विवरण	द्वारकाधीश कॉलोनी, गाँव- सुल्खाखेड़ी, इंदौर (म.प्र.) में स्थित प्लॉट नंबर 183 का पूरा हिस्सा और उस पर बना निर्माण; प्लॉट का एरिया 800 वर्ग फुट है। सीमाएँ: पूर्व की ओर: प्लॉट नंबर 182, पश्चिम की ओर: प्लॉट नंबर 184, उत्तर की ओर: प्लॉट नंबर 193, दक्षिण की ओर: सड़क।
CERSAI आईडी	एसेट आईडी : 200016773101 सिक्युरिटी इंटरेस्ट ID: 400016811026
रिजर्व प्राइस जिसके नीचे सिक्योर्ड एसेट नहीं बेचा जाएगा (रुपये में):	₹81,68,400/- (इक्यासी लाख अड़सठ हजार चार सौ रुपये मात्र)
अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट	₹8,16,840/- (आठ लाख सोलह हजार आठ सौ चालीस रुपये मात्र)
प्रॉपर्टी और सिक्योर्ड क्रेडिटर को पता कोई भी दूसरा बकाया और वैल्यू के खिलाफ कोई क्लेम, अगर कोई हो, तो	ज्ञात नहीं
संपत्ति का निरीक्षण	07.08.2026 – 2.00 PM to 4.00 PM
संपर्क सूत्र एवं फोन नं.	श्री विरल दोशी - 9870893185 श्री परेश करांडे - 9594313111; सुश्री हीना विचारे - 9004103652
बोली जमा करने की अंतिम तिथि	14.08.2026 till 4.00 PM
बोली लगाने का समय और स्थान	वेबसाइट के माध्यम से ई- नीलामी/बोली (https://sarfaesi.auctiontiger.net) 18/08/2026 को सुबह 11.30 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक

यह सूचना, सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एनफोर्समेंट) रूल्स, 2002 के नियम 8 और 9 के तहत ऊपर बताए गए उधारकर्ताओं/सह-उधारकर्ताओं/गिरवी रखने वालों/गारंटर को 15 दिन का नोटिस भी है।
बिक्री की विस्तृत शर्तों और नियमों के लिए, कृपया सिक्योर्ड क्रेडिटर की वेबसाइट http://www.pegasus-arc.com/assets-to-auction.html या https://sarfaesi.auctiontiger.net या सर्विस प्रोवाइडर E Procurement Technologies Ltd. Auction Tiger से संपर्क करें। बिडर सपोर्ट नंबर: मोबाइल: +91 9265562821 और 9374519754, ईमेल: vijay.shetty@auctiontiger.net, ramprasad@auctiontiger.net, श्री रामप्रसाद मोबाइल नंबर +91 8000023297, ईमेल: support@auctiontiger.net (कोई भी बोली लगाने से पहले)।
स्थान : इंदौर | हस्ते/- अधिकृत अधिकारी
दिनांक : 24/07/2026 | पेगासस एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन प्रा.लि. (पेगासस ग्रुप वन ट्रस्ट -32 के ट्रस्टी के रूप में कार्य करते हुए)